भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1111

दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

शी-बॉक्स शिकायतें

1111 श्रीमती रंजीत रंजनः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

श्री हरीस बीरनः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से इसकी स्थापना के बाद से प्राप्त, समाधान की गई या निपटाई गई कुल शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के गठन पर सरकार किस तरह से नियामक निगरानी रखती है; और

(ग) सरकार द्वारा कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के कुछ प्रावधानों के क्रियान्वन की प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करते हुए शी-बॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल देश भर में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाओं का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत भंडार प्रदान करती है, चाहे वे सरकारी हों या निजी क्षेत्र में और यह शिकायत दर्ज करने तथा ऐसी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए

एक सामान्य मंच भी प्रदान करता है। इस पोर्टल में यह सुविधा शामिल है कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतें सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी क्षेत्र में संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को भेज दी जाएंगी। पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है जिसे शिकायतों की वास्तविक समय निगरानी के लिए नियमित आधार पर आंकड़ो/सूचना को अद्यतन करना सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिकायत पंजीकरण प्रणाली की शुरूआत दिनांक 19 अक्टूबर, 2024 को की गई है, जिसमें अधिकतम संख्या में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया जाएगा। तब से अब तक पोर्टल पर कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

एसएच अधिनियम संबंधित सरकार को इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने और दायर तथा निपटाए गए मामलों की संख्या पर आंकड़े तैयार करने का अधिकार देता है। यह शी-बॉक्स वैधानिक अथवा नियामक निरीक्षण के लिए एक तंत्र नहीं है बल्कि यह एक आईटी प्लेटफार्म है जो विभिन्न कार्यस्थलों पर गठित आईसी और एलसी के बारे में जानकारी के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करना है ताकि कोई भी पीड़ित महिला सुरक्षित और सरल तरीके से शिकायत दर्ज करा सके और इसकी प्रगति पर नज़र रख सके। इस शी-बॉक्स पोर्टल पर दर्ज की गई कोई भी शिकायत, जैसा भी मामला हो, सीधे संबंधित कार्यस्थल के आईसी या जिले के एलसी तक पहुंचती है। आईसी के अध्यक्ष को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति शिकायत का विवरण या प्रकृति नहीं देख सकता है।

सरकार द्वारा शी-बॉक्स पोर्टल के अतिरिक्त कार्यस्थल पर भी सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एसएच अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, हर वर्ष 9 दिसंबर को एसएच अधिनियम का अधिनियमन दिवस मनाता है और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी क्षेत्रों (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/निजी निकाय/व्यापार संगठन/शैक्षणिक संस्थान/और अन्य संगठनों सहित) को पत्र/परामर्श जारी करता है और साथ ही आईसी/एलसी का तत्काल गठन करने के लिए भी कहता है।
ii. मंत्रालय ने एसएच अधिनियम, 2013 पर एक पुस्तिका भी जारी की है। इस पुस्तिका में अधिनियम के बारे में जानकारी सरल और व्यावहारिक तरीके से दी गई है। इस पुस्तिका

की सॉफ्ट कॉपी व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है और इसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को भी भेजा गया है।

iii. मंत्रालय ने कार्मिकों के प्रशिक्षण और लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। मंत्रालय ने लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने में मदद के लिए 28 नवंबर 2023 को 'लिंग-समावेशी संचार पर मार्गदर्शिका' भी लॉन्च की।

iv. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने भी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर परामर्श जारी कर एसएच अधिनियम के अंतर्गत जांचों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण अधिनियम के तहत दायर/निपटान किए गए मामलों की संख्या से संबंधित सूचना को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने को कहा है।

v. निर्भया कोष के तहत, सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं:

क) जिन सार्वजनिक स्थानों पर जहां महिलाएं काम करती हैं और रहती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 8 शहरों (अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में विविध घटकों वाली सुरक्षित शहर परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) जैसी रेल और सड़क परिवहन परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिसमें 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए टैब शामिल है। इसी तरह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी); बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी); तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) इत्यादि जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

ख) जरूरतमंद और संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता और समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-

112) स्थापित की गई है जिसमें विभिन्न आपात स्थितियों के लिए कंप्यूटर की सहायता से फील्ड संसाधन भेजने की सुविधा है। देश भर में किसी भी जगह हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पूरी तरह से कार्यात्मक विशेष महिला हेल्पलाइन-181 (डब्ल्यूएचएल) भी कार्यशील है। यह हेल्पलाइन 112 के साथ पूरी तरह से एकीकृत है।

*****